न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 114/2024 दर्ज दिनांक : 06.11.2024

1. चन्दा पुत्री पुराराम पत्नी ठाकरमल जाति मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा हाल निवासिनी रामसरा तहसील व जिला चूरू।

वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू
2. रेवंती पत्नी पुराराम जाति मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा तहसील चूरू।
3. अनुदेवी पुत्री पुराराम जाति मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा तहसील चूरू
4. कलावती पुत्री पुराराम जाति मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा तहसील चूरू
5. खेमी देवी पुत्री पुराराम जाति मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा तहसील चूरू
6. चुकी देवी पुत्री पुराराम जाति मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा तहसील चूरू
7. नानु पुत्री पुराराम जाति मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा तहसील चूरू
8. पैपी पुत्री पुराराम जाति मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा तहसील चूरू
9. बाबुलाल पुत्र पुराराम जाति मेघवाल निवासी सुरतपुरा तहसील चूरू।

उपस्थित अधिवक्ता
श्री सुरेन्द्र डुडी वादी
श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण
दावा अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88

: निर्णय :

वदिनी की ओर से यह वाद निम्न प्रकार पेश किया है कि

1. यह कि कृषि भूमि खसरा नं. 153 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 तादादी 2.7822 हैक्टेयर, खसरा नं. 40 तादादी 4.7424 हैक्टेयर व ख.नं. 75 तादादी 3.1869 हैक्टेयर कुल किता चार कुल तादादी 13.7466 हैक्टेयर रोही मोजा सुरतपुरा तहसील चूरू जिला चूरू वादिनी एवं प्रतिवादीगण सं. 02 ता 10 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें वादिनी का 1/18 हिस्सा है यही कृषि भूमि है।

2. यह कि वादगत कृषि भूमिया पहले वादिनी के पिता पुराराम व वादिनी के चाचा सूरजा की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रही। पुराराम व सूरजा के स्वर्गवास के बाद वादगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण वादिनी व प्रतिवादीगण सं. 02 ता 10 के नाम से दर्ज किया गया।

3. यह कि वादिनी का असली व सही नाम चंदा है सिको उसके मापा पिता व पीहर वाले चिम्मा देवी व चंदा दोना नामो से पुकारते थे इस कारण से जब वादिनी के पिता पुराराम का जब स्वर्गवास हुआ तो उसके हक हिस्से की वादगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो राजस्व रिकॉर्ड में चंदा पुत्री पुराराम के स्थान पर चिमा देवी पुत्री पुराराम अंकित कर दिया गया जब कि वादिनी का असली व सही नाम चिमादेवी न हो कर चंदा है।

4. यह कि वादिनी को उसकी ससुराम में रिश्तेदारी में जान पहचान वालो में चंदा के नाम से ही जाना पहचाना जाता है व पु[illegible] हो चुकी है सभी राजकीय दस्तावेजों में वादिनी का नाम चंदा है मुख्य रूप से भा[illegible] आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें चंदा पत्नी ठाकरमल भारतीय वि[illegible] जारी आधार कार्ड में चंदा पत्नी ठाकरमल स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ए[illegible] स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें वादिनी का खाता खुला हुआ है में [illegible] है ग्राम पंचायत द्वारा [illegible] जॉब कार्ड में चंदा नाम अंकित है राजस्थान सरकार द्वारा जारी परि[illegible] राशन कार्ड में चंदा पत्नी [illegible]ल नाम अंकित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

ग्राम पंचायत द्वारा जारी जॉब कार्ड में चंदा नाम अंकित है राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड में चंदा पत्नी ठाकरमल नाम अंकित है ग्राम पंचायत मोलीसर बड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि पुराराम की एक पुत्री का नाम उसके खेत की जमाबंदी में चीमा देवी लिखा गया है चिमा देवी व चंदा दोनो एक ही है इसलिए चिमादेवी के नाम की जगह चंदा पढा जावे । इन तमाम दस्तावेजी साक्ष्यो से यह प्रमाणित है कि वादिनी का असली नाम चंदा है।

5. यह कि वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का गलत नाम अंकित हो जाने से वादिनी अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर मिलने वाले हर लाभ व सुविधाओं से जैसे फसल बीमा, के.सी.सी. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि से वंचित हो रही है वादीनी को राजस्व रिकॉर्ड में उसके गलत नाम अंकित होने से भारी क्षति व असुविधाए हो रही है जिससे निजात पाने के लिए वादिनी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वादिनी वादगत कृषि भूमि के अपने गलत अंकित नाम को दुरूस्त करवा कर सही नाम का अंकन करवाये व अपने सही नाम हिस्सा ही घोषणा करवाये इस हेतु यह दावा वादिनी पेश किया जा रहा है।

6. यह कि वादगत कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी को अपने गलत नाम अंकित हो जोने से मिल कर निवेदन किया गया हल्का पटवारी से भी निवेदन किया गया कि वोह वादगत कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत नाम को दुरूस्त कर देवे इस पर हल्का पटावारी व प्रतिवादी सं. 01 से कई बार व्यक्तिगत रूपसे मिल कर निवदन किया गया हल्का पटावारी से भी निवेदन किया गया कि वोह वागत कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत नाम को दुरूस्त कर देवे इस पर हल्का पटवारी से भी निवेदन किया गया कि वोह वागत कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गलत नाम को दुरूस्त कर देवे इस पर हल्का पअवारी व प्रतिवादी सं. 01 ने दिनांक 10.10.2024 को यह कहते हुए कि यह रिकार्ड दुरूस्ती का मामला है रिकॉर्ड को दुस्स्त करने में हम सक्षम नहीं है आप उपखण्ड अधिकारी महोदय चूरू के न्यायाल में कार्यवाही करें स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया–वादिनी वादगत कृ षि भूमि का संयुक्त खातेदारी काबिज कास्तकार है इसलिए इस दावा के प्रति वादिनी को आधार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा की गई स्पष्ट इन्कारी की तिथि से इस दावा के प्रतिव वादिनी को कारण प्राप्त है।

7. यह कि वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी सं. 01 के पावर व पजेसन में है दावा वादिनी स्वीकार होकर डिक्री होने की सूरत में मुताबिक डिक्री के सारी कार्यवाही प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा होने की सूरत में मुताबिक डिक्री के सारी कार्यवाही प्रतिवादी सं. 01 के द्वारा की जानी है इसलिए प्रतिवादी सं. 01 को पक्षकार वाद बतौर प्रतिवादी सं. बनाया गया है चूंकि वादिनी द्वारा प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए प्रतिवादी सं. 01 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए बिना दावा वादिनी पेश किया जा रहा है।

8. यह कि वादगत कृषि भूमि वादिनी व प्रतिवादीगण सं. 02 ता 10 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है इसलिए इस दावा में प्रतिवादीगण सं. 02 ता 10 को पक्षकार बतौर प्रतिवादीगण कानूनी कमी को दूर करने की मंशा से बनाया गया है।

9. यह कि वादगत कृषि भूमि श्रीमानजी के अधिकार क्षे में स्थित होने के कारण से इस दावा के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार से श्रवणाध्किार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है दावा वादिनी उचित कोर्ट फीस पर अन्द मियाद पेश है।

अतः दावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादिनी स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादिनी विरूद्ध प्रतिवादगीण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(क) घोषणा इस आशय की की जावे कि कृषि भूमि ख. नं. 153 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 तादादी 2.7822 हैक्टेयर, खसरा नमब्र 40 तादादी 4.7424 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 75 तादादी 3.1869 हैक्अेयर कुल किता कुल तादादी 13.7466 हैक्टेयर रोही मोजा सुरतपुरा तहसील चूरू जिला चूरू वादिनी चं[illegible] हिस्सा 1/18 जाति मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा हाल निवासिनी रामसरा तहसील च[illegible] काबिज काश्तकार है।

(ख) कृषि भूमि खसरा नं. [illegible] खसरा नम्बर 154 तादादी 2.7828 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 तादादी [illegible] तादादी 3.1869 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल तादादी 13.7466 है[illegible] तहसील चूरू जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में चिमादेवी पुत्री पुरामराम के स्थान पर चंदा [illegible] पुराराम पत्नी ठाकरमल हिस्सा 1/18 जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मेघवाल निवासिनी सुरतपुरा हाल निवासिनी रामसरा खातेदार अंकित किया जावे तथा इसी आशय का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 ता 09 की ओर से अधिवक्ता महावीर प्रसाद वर्मा की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि दावा यदि स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने पर जवाब बंद किया गया व प्रतिवादी संख्या 10 पर विधिवत तामील के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अधिवकता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2074 खेत खसरा नम्बर 154, 153, 40, 75 रोही ग्राम सुरतपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार है । वादीनी के घरेलु दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचानपत्र आदि में वादीनी का नाम चंदा है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में चिमा देवी हैं ग्रमा पंचायत के प्रमाण पत्र में चन्दा देवी व चीमा देवी आदि दोनों एक ही महिला के नाम बताये है ।

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद में यह निवेदन किया गया कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 153, 154, 40 एवं 75 कुल रकबा 13.7466 हैक्टेयर रोही, मोजा सुरतपुरा, तहसील चूरू की संयुक्त खातेदारी भूमि में वादीनी का 1/18 हिस्सा है, परंतु राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम चिमा देवी अंकित हो गया है, जबकि उसका वास्तविक एवं सही नाम चन्दा है। वादीनी ने आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक रिकॉर्ड तथा ग्राम पंचायत मोलीसर बड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र सहित विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि चिमा देवी एवं चन्दा एक ही व्यक्ति हैं तथा वादीनी का वास्तविक नाम 'चन्दा पुत्री पुराराम पत्नी ठाकरमल है। प्रतिवादी संख्या 02 से 08 ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर वाद स्वीकार करने में असहमति नहीं बताई। प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से जवाब प्रस्तुत न करने पर जवाब बंद किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से तामील होने के बावजूद गैरहाजिरी पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली, दस्तावेज एवं बहस सुनकर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबंदी सम्वत् 2074, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वादीनी का सही नाम चन्दा है एवं राजस्व रिकॉर्ड में चिमा देवी का है। जिससे वादिनी को परेशानी होना स्वभाविक है तथा इस सहखातेदारों ने अनापति जाहिर की है तथा इस प्रकार के संशोधन से किसी भी प्रकार से किसी के हित का प्रभावित होने की संभावना नहीं है। वादीनी रिकॉर्डेड खातेदार होने से अपने नाम में दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा वादिनी स्वीकार किये जाने योग्य है।

निर्णय

उपर्युक्त विवेचन के पर दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि कि कृषि भूमि ख. नं. 153 तादादी 3.0351 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 तादादी 2.7822 हैक्टेयर, खसरा नमब्र 40 तादादी 4.7424 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 75 तादादी 3.1869 हैक्अेयर कुल किता कुल तादादी 13.7466 हैक्टेयर रोही मोजा सुरतपुरा तहसील चूरू जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का अंकित नाम चीमा देवी के स्थान पर चंदा घोषित किया जाता है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को मरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(सुनील कुमार–I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:18 IST
Reason: SelfAttested